B.com

निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी माना जाना
(Private Company to be Deemed as Public Company)

कुछ दशाओं में एक निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी माना जाता है भारतीय कम्पनी (संशोधित) अधिनियम 1988 की धारा 43-A के अनुसार अब एक निजी कम्पनी निम्न परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में सार्वजनिक कम्पनी माना जायेगा।

(i) यदि किसी निजी कम्पनी की प्रदत्त अंश-पूंजी का 25% या इससे अधिक भाग किसी अन्य समामेलित कम्पनी या कम्पनियों के पास है तो ऐसी निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी उस तिथि से माना जायेगा जिस तिथि को उक्त समामेलित कम्पनी या कम्पनियों ने प्रदत्त अंश-पूंजी के 25% या इससे अधिक भाग पर अधिकार किया था।

लेकिन यह नियम उस दशा में लागू नहीं होगा जबकि उक्त निजी कम्पनी की सम्पूर्ण अंश-पूंजी किसी अन्य भारतीय निजी कम्पनी या एक अथवा एक से अधिक विदेशी कम्पनियों द्वारा ली गई हो।

(ii) संशोधित कम्पनी अधिनियम 1990 धारा 43 (अ) के अनुसार

यदि किसी निजी कम्पनी की 3 निरन्तर वित्तीय वर्षों की कुल औसत वार्षिक बिक्री 10 करोड़ रु० या इससे अधिक है तो उसे उक्त अवधि के अन्तिम 3 दिन की समाप्ति के तीन महीने के पश्चात् से सार्वजनिक कम्पनी माना जायेगा।

(iii) संशोधित कम्पनी अधिनियम 1974 के अनुसार यदि किसी सार्वजनिक कम्पनी की प्रदत्त पूँजी का कम से कम 25% या इससे अधिक भाग किसी निजी कम्पनी के पास है तो ऐसी निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी माना जायेगा.

(iv) कम्पनी संशोधन, अधिनियम 1988 के लागू होने के बाद यदि कोई निजी कम्पनी विज्ञापन द्वारा जनता से निक्षेप (Deposits) आमंत्रित करके स्वीकार करती है अथवा नवीनीकरण करती है तो ऐसी निजी कम्पनी उक्त तिथि से सार्वजनिक कम्पनी मानी जायेगी। जिस तिथि को उसने पहली बार ऐसा किया था.

स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण

(classification of the basis of ownership)

स्वामित्व के आधार पर समामेलित कम्पनियों का वर्गीकरण निम्न दो भागों में किया जा सकता है.

(i) सरकारी कम्पनी (Government company) :-

कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियों से तात्पर्य उन कम्पनियों से है जिनकी कम से कम 51% अंश पूँजी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा सरकार या दोनों मिलाकर (केन्द्र या राज्य सरकार) ले लेती है)

सन् 1960 में हुए संशोधन के अनुसार उन कम्पनियों को भी सरकारी कम्पनी माना जायेगा।

जो कि उपयुक्त सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ हो. धारा - 617

(iii) गैर सरकारी कम्पनी (Non-government company)! -

गैर सरकारी कम्पनी से आशय उन कम्पनी से है जो कि सरकारी न हो। ~~अतः~~ आदि में गैर - सरकारी कम्पनियों की ही व्याख्या है.

इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर वर्गीकरण (Classification on the basis of Independence of An unit)

इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन भागों में किया जा सकता है

(i) स्वतंत्र इकाई (Independent unit)! -

स्वतंत्र इकाई से आशय उस कम्पनी से है जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से अकेले ही करती है और किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है

(ii) सहायक कम्पनी (Subsidiary company)! -

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी किसी अन्य कम्पनी की सहायक कम्पनी निम्नलिखित दशाओं में हो

सकती है।

(i) यदि अन्य कम्पनी (other co.) उसके निदेशक मंडल के गठन पर नियन्त्रण रखती है। या

(ii) यदि अन्य कम्पनी उसकी साधारण अंश पूंजी के अंकित मूल्य (Nominal value) के आधे से अधिक भाग की धारक रखती है या

(iii) यदि वह किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जो कि स्वयं उस अन्य कम्पनी की सहायक है।

धारा 4 (1)

2. सूत्रधारी कम्पनी (Holding company)!-

कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी की सूत्रधारी कम्पनी तभी माना जायेगा, यदि वह दूसरी कम्पनी उसकी सहायक हो। धारा 4 (2)

एक सूत्रधारी कम्पनी की परिभाषा तब तक नहीं समझी जा सकती है जब तक कि सहायक कम्पनी sub. co. की परिभाषा न समझ ली जाये। वास्तविकता तो यह है कि कम्पनी विधान में सूत्रधारी कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं है और सूत्रधारी कम्पनी केवल तब ही हो सकती है, यदि उसकी एक या अधिक सहायक कम्पनियाँ हों।